

का.आ. 1112(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 366(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री के० जे० मेहता टी० बी० हास्पिटल, अमरगढ़-364210, जिला भावनगर, गुजरात द्वारा गुजरात के ग्रामीण शिविरों में श्री के० जे० मेहता टी० बी० अस्पताल अमरगढ़ की क्षयरोग के रोकथाम, उपचार और अनुसंधान की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के० जे० मेहता टी० बी० हास्पिटल, अमरगढ़-364210, जिला भावनगर, गुजरात द्वारा गुजरात के ग्रामीण शिविरों में श्री के० जे० मेहता टी० बी० अस्पताल अमरगढ़ की क्षयरोग के रोकथाम, उपचार और अनुसंधान की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पांच करोड़(स्थायी निधि) रूप से की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।